

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secr@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.4(2)(3)/नपा/रानिआ/2024/1591

दिनांक: 10/05/2025

आदेश

आयोग के प्रेस नोट 1335 दिनांक 02.05.2025 द्वारा नगरीय निकायों में दिनांक 31.01.2025 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 09.05.2025 के माध्यम से वर्तमान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर अशांति होने के कारण राज्य में उपचुनावों को स्थगित किये जाने के संबंध में निवेदन किया है।

अतः उक्त के क्रम वर्तमान परिस्थितियों के मददेनजर एवं जन-धन को किसी प्रकार की क्षति/नुकसान न हो, को ध्यान में रखते हुए उक्त उपचुनाव कार्यक्रम को आस्थगित (Abeyance) किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 10/05/2025

क्रमांक: एफ.4(2)(3)/नपा/रानिआ/2024/1592-1607

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान सरकार
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान।
6. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग/वित्त (मार्गोपाय) विभाग राज., जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/विधि एवं न्याय विभाग/गृह विभाग राज., जयपुर।
9. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
10. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
12. आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर।
13. महानिदेशक पुलिस/अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून एवं व्यवस्था), राज. जयपुर।
14. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
15. अध्यक्ष/सचिव, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।
16. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(नगरपालिका)।

(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव